

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा  
एस0ए0आर0 वाद सं0 06/2011-12

जयमन लकड़ा

बनाम

सुभाष प्रसाद वो कमलेश प्रसाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी सहित तारीख													
1	2	3													
3.3.22	<p>प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जयमन लकड़ा, पिता- स्व0 पीटर लकड़ा, ग्राम- किनकेल जामटोली, थाना- केरसई, जिला- सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी श्री सुभाष प्रसाद वो श्री कमलेश प्रसाद, पिता- तपेश्वर प्रसाद, ग्राम- किनकेल, थाना- केरसई, जिला- सिमडेगा ने सादा बिक्रीनामा द्वारा अवैध तरीके से किया गया है। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1968 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है। वाद संख्या- 06/2011-12 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत् है:-</p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि विवरण:-</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता न0</th> <th>प्लॉट न0</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>किनकेल</td> <td>केरसई</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>1184</td> <td>0.10 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, केरसई को इस न्यायालय के पत्रांक 1333(ii)/रा0, दिनांक 30.12.2011 द्वारा उपयुक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, केरसई के पत्रांक 112 (ii)/ दिनांक 06.07.2012 द्वारा प्रश्नगत भूमि खाता सं0- 27, प्लॉट सं0- 1184 रकबा 0.10 एकड़ में खतियानी रैयत नयनसुख उराँव वल्द संडू उराँव वो प्यारा उराँव वो थसमन उराँव वो फुलचंद उराँव पे0 संजु उराँव, अमरुना उराईन जोजै बेहरा उराँव वो कल्यान उराँव वो जुनास उराँव वो प्रभुदास उराँव वल्द भाकु उराँव के नाम दर्ज है।</p> <p>अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 15.01.2012 से लेकर 04.10.2014 तक उभय पक्ष अनुपस्थित व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं रखी गई। दिनांक 04.10.2017 से लेकर 20.09.2021 तक पीठासीन पदाधिकारी अधिसूचित नहीं रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं की गई एवं उभय पक्ष की और से अधिवक्ता की कोई पैरवी नहीं पड़ी और न ही उभय पक्ष सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या- 06/2011-12 को संचिकास्त किया जाता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को अनुमण्डल कार्यालय के न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	किनकेल	केरसई	20	27	1184	0.10 एकड़	<p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा।</p>	<p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सिमडेगा।</p>
मौजा	थाना	थाना नं0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा										
किनकेल	केरसई	20	27	1184	0.10 एकड़										



आदेश- पत्रक  
 दि. 12/11/2011 अंगितेय हस्तकर्म

आदेश पत्रक - ता. 0. . . . . तक  
 जिला- सिमडेगा, सी. नं. S.A.R. No. 6/11-12 . . . . . तन्-2005  
 केश का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 . . . . . खनाम

आदेश की नं. नं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	को गृह कारवाई
-----------------------------	--------------------------------	------------------

30/12/2011

श्री. . . . .  
 पिता. . . . .  
 साकिन . . . . .

30/12/2011

जिला- सिमडेगा ने आदेशन पत्र दिया है कि निम्नलिखित  
 जमीन को नाजायज तरीके से विपथी श्री. . . . .  
 (1) श्री सुभाष प्रसाद (2) कमलेश प्रसाद  
 . . . . .

साकिन. . . . .  
 जिला- सिमडेगा. . . . .  
 कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र  
 विनियम 1969 के अन्तर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते  
 हैं।

ग्राम	खता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कितकैल	27 -	1184 -	0.10 रु.

उभय पक्ष को सूचित करें। अंगितेय दिनांक 15.01.12  
 को उपस्थापित करें।

उपसमाहती सू० सु०  
 सिमडेगा।